

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
झारसी/चित्रकूटधाम मण्डल झारसी।

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक/एनओसी/ 2050-57 /2013-14

दिनांक 11-07-2013

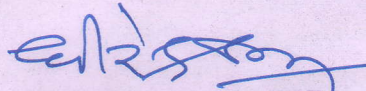
विषय- सेठ छोटे लाल एकेडमी, राठ (हमीरपुर) को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं0-1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किये जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का प्राविधान किया गया है, उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद हमीरपुर में स्थित संस्था सेठ छोटे लाल एकेडमी, राठ (हमीरपुर) के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा जांचोपरान्त सेठ छोटे लाल एकेडमी, राठ (हमीरपुर) को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः सेठ छोटे लाल एकेडमी, राठ (हमीरपुर) को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में समिति को आपत्ति नहीं है-

1. विद्यालय की सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मैधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे, और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और इन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।


SECRETARY/MANAGER
Seth Chhoteylal Academy
Rath-Hamirpur (U.P.)



7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जा भी अरु निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड, निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(अशोक दीक्षित)

आयुक्त

चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा।

पृ0सं0/एन0ओ0सी0/2050-57/2013-14 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. वैयक्तिक सहायक, आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बाँदा।
3. जिलाधिकारी, हमीरपुर।
4. शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक हमीरपुर।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रबन्धक, सेठ छोटे लाल एकेडमी, राठ (हमीरपुर)।

(Signature)

डॉ0(गीता अग्निहोत्री)

संयुक्त शिक्षा निदेशक

झांसी/चित्रकूटधाम मण्डल

(Signature)
 SECRETARY/MANAGER
 Seth Chhoteylal Academy
 Rath-Hamirpur (U.P.)

